

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 21 फरवरी, 2018

विषय :- अलीगढ़ में 400 के०वी० डबल सर्किट अलीगढ़-प्रिथला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 वृक्षों के पातन की अनुमति।

महोदय,


उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय संख्य-8बी/यूपी/06/54/2017/एफसी/695 दिनांक 14.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-2366/अलीगढ़-22272/2016 दिनांक 09.02.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है, जो इस प्रकार है :-

No.	Observation of GOI	Reply
1	Information uploaded regarding copy of map indicating of alternatives examined at D (ii) (a) of part I is incorrect.	Corrected map showing alternative routes with area description examined by user agency has been uploaded.

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 09.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(आशीष तिवारी)
✓ विशेष सचिव।

संख्या-383(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
अनुसचिव।